

जाँच प्रतिवेदन

जिला—सुपौल,

प्रखण्ड—किशनपुर,

ग्राम पंचायत—शिवपुरी

विषय :— परिवार पत्रों के तहत अनियमितता के जाँच के संबंध में।

प्रसंग :— ग्रामीण विकास विभाग, पटना का पत्रांक—319666 दिनांक—01.08.2017

प्रतिवेदन— दिनांक—09.08.2017

शिवपुरी पंचायत के श्रीमती द्रौपती देवी, पंचायत समिति सदस्या—सह—अध्यक्ष लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति प्रखण्ड—किशनपुर ने मनरेगा कनीय अभियंता द्वारा किशनपुर थाना परिसर एवं थाना के चाहरदीवारी के बाहर मिट्टी की भराई वास्तविक गहराई से ज्यादा अधिक गहराई देकर प्राक्कलन तैयार करने से संबंधित शिकायत है कि जाँच निम्नलिखित पदाधिकारी एवं अन्य की उपस्थिति में की गयी।

1. श्रीमती द्रौपती देवी, पंचायत समिति सदस्या—शिकायतकर्ता
2. साथ में उनके पुत्र।
3. कार्यक्रम पदाधिकारी, पिपरा।
4. कार्यक्रम पदाधिकारी, निर्मली।
5. श्री राजमोहन चौधरी, सहायक अभियंता, मनरेगा, सुपौल।
6. श्री राजेश कुमार, पंचायत तकनीकी सलाहकार।
7. अन्य व्यक्तिगण।

जाँच के क्रम में :—

- (1) योजना का नाम :— किशनपुर थाना परिसर के जमीन में मनरेगा से मिट्टी भराई
- (2) योजना संख्या :— 16/2016—17
- (3) प्राक्कलन की राशि :— 4,59,600 /—
- (4) मापी पुस्त की राशि :— 1,40,999 /—

जाँच *अब*

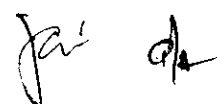
कनीय अभियंता द्वारा थाना परिसर के जमीन में छः खण्ड (1), (2), (3), (4), (5) एवं (6) में मिट्टी भराई आवश्यकता अनुसार अलग-अलग गहराई में ट्रैक्टर से दुलाई कर तैयार किया गया है। (प्राक्कलन एवं थाना परिसर की चाहरदीवारी का लाइन स्केच की छायाप्रति संलग्न)। खण्ड (1), (5) एवं (6) थाना परिसर के चाहरदीवारी के अन्दर का भू-भाग तथा (2), (3) एवं (4) चाहरदीवारी के बाहर चाहरदीवारी एवं पक्की सड़क के बीच का भू-भाग है। प्राक्कलन में खण्ड (2) एवं (4) की गहराई 6 फीट तथा (1), (3) (5) एवं (6) की गहराई 1 फीट 9 इंच से 3 फीट 0 इंच फीट की हैं खण्ड (2) एवं खण्ड (4) में मिट्टी भराई की गहराई 6 इंच 0 फीट का प्रावधान किया गया है के संबंध में उपस्थित ग्रामीण व्यक्ति से पुछ-ताछ की गयी तो बताया गया कि चाहरदीवारी एवं सड़क के बीच छः (6) फीट से अधिक गहराई थी, चूँकि चाहरदीवारी के बाहर खण्ड (2), (3) एवं (4) में मिट्टी भराई का कार्य हो चुका था। इसलिए गहराई की मापी नहीं की जा सकी लेकिन लम्बाई एवं चौड़ाई की मापी की गयी जो प्राक्कलन में दिए गये लम्बाई, चौड़ाई से अधिक ही पाया गया।

प्राक्कलन में खण्ड (1) से खण्ड (6) तक मिट्टी भराई की कुल मात्रा 93,508 cft है, जिसमें खण्ड (2), (3) एवं (4) में मिट्टी की मात्रा क्रमशः 32,708 cft, 4485 cft तथा 22440 cft है। मापी पुस्त में मिट्टी भराई का कार्य खण्ड (2), (3) एवं (4) हुआ है, जिसमें मिट्टी भराई की मात्रा 59633 cft के विरुद्ध 29262 cft का ही मापी पुस्त में दर्ज है।

मापी पुस्त जाँच के क्रम में निम्नलिखित सत्य पाया गया :-

1.	प्रथम चालू विपत्र—रु0 43921 /—	मिट्टी की मात्रा—8443 cft+Rs. 5100
		फोटोग्राफी एवं सूचना पत्र की राशि
(2)	द्वितीय चालू विपत्र—रु0 97078 /—	मिट्टी की मात्रा—20919 cft
	Rs. 1,40,999=00	मिट्टी की मात्रा—29,262cft+Rs.5100.00
		फोटोग्राफी एवं सूचना पत्र की राशि

इस प्रकार अभी तक मिट्टी भराई की कुल मात्रा 93,505 cft के विरुद्ध 29262 cft मिट्टी की मात्रा का मापी पुस्त में दर्ज की गयी है जो बहुत ही कम है।

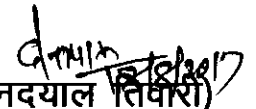


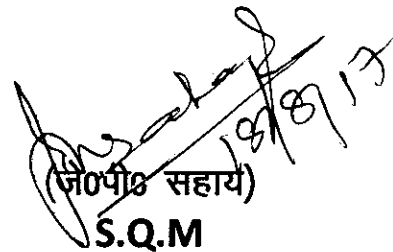
मंतव्य :-

- (1) पंचायत समिति सदस्या एवं वर्तमान में मुखिया की राजनैतिक स्वार्थ, एवं वर्चस्व से संबंधित प्रतीत होता है। अधिकांश लोगों द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति सदस्या इस योजना (कार्य) को कराने की इच्छुक थी।
- (2) इस प्रकार कनीय अभियंता द्वारा वास्तविक गहराई से अधिक ज्यादा गहराई देकर प्राक्कलन तैयार करने की साक्ष्य नहीं पाया गया।
- (3) स्थल/प्राक्कलन/मापीपुस्त स्थल में कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होता है।
- (4) अतएव प्रतिवादी श्रीमती द्रौपती देवी, पंचायत समिति सदस्या द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

अनु० :-

1. प्राक्कलन की छायाप्रति।
2. कार्य करने के पूर्व का फोटोग्राफी (मापी करते हुए)।
3. कार्य होते हुए फोटोग्राफ।
4. जाँच के क्रम में थाना परिसर में शिकायतकर्ता श्रीमती द्रौपती देवी एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मचारीगण की फोटोग्राफी।
5. जाँच करते हुए मापी का फोटोग्राफी।


(दीनदयाल तिवारी)
S.Q.M


(जि०पी० सहाय)
S.Q.M

Est on AIC Bill

Name to work— 1
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement—

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Nikwone	1	211	11	4	11
W/111	1	11	11	11	11
Schmitt	1	11	11	11	11
Ni Aguy	1	11	11	11	11
UHP	1	11	11	11	11
Block	1	11	11	11	11
Ditch	1	11	11	11	11
M.B.	1	11	11	11	11
PIV	1	11	11	11	11
Combined	1	11	11	11	11

Part	1	11	11	11	11
CH	1	11	11	11	11
As	1	11	11	11	11
	1	11	11	11	11

2. EIW (by a) in comparison
 Tractor by or by job
 With load & by by
 Manual labour etc etc
 complete fr 34

1x56'0" x 24'0" x 1'0"	1304 cb
1x62'0" x 32'0" x 1'0"	1394 ch
1x56'0" x 28'0" x 1'0"	1360 ch
1x48'0" x 24'0" x 1'0"	1260 ch
1x65'0" x 29'0" x 1'0"	1365 ch
	8340 ch
	2362.80

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

[illegible]

Continuation

LD720194468

योजना स्वीकृति हेतु चेक फ्लाप
जिला- सुपौल

नाम :- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार

[illegible]

Function
04/01/17

02/11/75
पाना

177. 04/01/17
प्राप्तयका अभियंता विभाग अभियंता का एड
एव पुरा अभियंता विभाग अभियंता का एड
तियि सहित

तमयकार... का हा।
पुरा नाम एवं पदनाम
...

प्रतिवेदन

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार

योजना का नाम : किशनपुर धाना पट्टिर में डिडी अटार्म करि

पंचायत : शिवपुरी

प्रखण्ड : किशनपुर

जिला : सुपौल

प्राककलित राशि : ₹ 4596000

वित्तीय वर्ष : 387/2016-17 पट्टि

उपरोक्त प्राककलन ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक लिखित प्रतिवेदन तथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेशानुसार तैयार किया गया है। यह योजना जिला परिषद द्वारा वार्षिक कार्य योजना, वर्ष-2016-17 में अनुमोदित है तथा क्रमांक 387 पर है। ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक शिवपुरी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर पिछले वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। योजना से संबंधित प्रकार का विवाद का पूर्व में निपटारा कर लिया गया है। यह प्राककलन तकनीकी रूप से स्थल जोड़ोपरान्त तैयार किया गया है तथा अनहित में उपयोगी है।

मनरेगा नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूपेण अनुपालन करने के उपरान्त ही योजना का प्रशासनिक रसीकृति अभिलेख का संधारण कर कार्य प्रारम्भ किया गया।

पंचायत (सा.पट.मजदूरी एवं साधु) के अनुपात (60:40) के अनुसार ही पंचायत का अधीक्षण कर, अनुपात रखी ली जावेगी। ग्राम-पंचायत की होगी।

कनिष अग्रियता
09/11/17

मनरेगा, प्रखंड-किशनपुर

Prakash
04/01/17

प्रखंड अधिकारी
मनरेगा, प्रखंड-किशनपुर

मनरहा

प्र - किशनपुर थाना के जमीन में निरी गार्ड कार्य।

पता - शिवपुरी, प्रखण्ड - किशनपुर, जिला - सुपौल।

प्लॉट - 387/16-17(फव), मानव बिस्स = 2232.

क्र	का विवरण	मात्रा / रकम	अवधि
	परिसर में निरी गार्ड -		
16	50'0" x 2'6" (मच)	18750.00 रु	
17	34'6" (मच) x 6'6" (मच)	32708.00 रु	
18	13'6" (मच) x 3'6" (मच)	4485.00 रु	
19	14'6" (मच) x 6'6" (मच)	22440.00 रु	
20	10'6" x 2'6" (मच)	9000.00 रु	
21	35'6" x 1'9" (मच)	6125.00 रु	
	कुल निरी =	93508.00 रु	
	मै (एच) Tractor 1 Km lead -		
	$H = 2648.2 \text{ cm}^3 @ \text{Rs. } 154.60/\text{m}^3 = \text{Rs. } 409412.00$		
	मै कार्य में (एच) Handling & Drilling		
	$100 \times 0.375 = 224 \text{ Nos}$		
	Rs. 177.00 /	Rs. 39648.00	
	इ, फोरोग्राम	Rs. 6000.00	
	Sub total	Rs. 455060.00	
	अ 17	Rs. 4550.00	
	अ 18	Rs. 459,010.00	

Says Rs. 459,000.00

For
04/01/17.
प्र. किशनपुर.

283/16/17 Dt. 04/01/17

for Rs. Four lakhs fifty nine thousand & Six hundred only.

Andhan
04/01/17

सहायक जमियत
विश्व जमीन विभाग अधिकारी
सुपौल

1. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'महिला सशक्तिकरण योजना' के अन्तर्गत
 2. 2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
 3. 100 करोड़ रुपये का आवंटन 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए है।
 4. 100 करोड़ रुपये का आवंटन 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए है।

100 करोड़ रुपये का आवंटन
 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए है।
 100 करोड़ रुपये का आवंटन 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए है।

- → मिट्टी भरार का स्थान, गढ़ा ①, ②, ③, ④, ⑤ एवं ⑥
 ▨ - कार्यप्रगति - ②, ③ एवं ④

